29/09/25 पत्रावली पेश हुई अधिकांश मांग करने पार्श्व स्थगन किया गया है पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही के नियत दिनांक 07/10/25 को पेश हो।

07/10/25 पत्रावली पेश हुई वादिकाओं प्रार्थी व अप्रार्थी प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 615 दिनांक 14-08-2025 के मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तहसीलदार शाहपुरा के उक्त पत्र से आ० सी०सी०ए० जोधा की रिपोर्ट मय मौका रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड की नकलें इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। आ० सी०सी०ए० की मौका रिपोर्ट से अवगत कराया गया कि प्रार्थी सत्यनारायण पुत्र लादूराम वैष्णव व अन्य ने मौके पर उपस्थित पटवारियान के समक्ष बताया कि उन्हें अपनी आराजी नम्बर 232, 233 तक आने जाने हेतु पड़ौसियों ने विवाद किया था। इस वास्ते रास्ता दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र दिया था। अब उनके तथा पड़ौसियों अप्रार्थीगणों के मध्य आपसी सहमति के मौके पर रास्ता संबंधी कोई विवाद नहीं रहा है तथा वह वर्तमान में अप्रार्थीगणों की आराजी नम्बर 228, 229, 230, 231 पर बेचर उनके खेतों आराजी नम्बर 232, 233 तक मकान रहे हैं प्रार्थी ने बताया कि उनके तथा अप्रार्थीगणों के मध्य आपसी समझौता हो गया है इस वास्ते वह राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं करवाना चाहता है तथा न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहता है अतः उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जावे। इस बाबत वह कोई इजरावा नहीं करेगा। मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी का बयान दर्ज किया गया है। अतः प्रकरण का, प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं उसके प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते एवं प्रार्थी तथा विपक्षीगणों के मध्य आपसी सहमति के समझौता हो जाने से प्रार्थी वाद प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने के प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही संभव नहीं है अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली क्रमपत्र अनुसार नियत नम्बर से क्रमशः पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
[illegible] (राज.)